

के वाद का वाद पेश किया गया है एवं उक्त विल (अम्बाला) के नं
 क्रमांक 359, 360, 364, 365, 366, ~~492~~ 515, ~~516~~ 517 के
 आदेशों के तहत उक्त विल के अंतर्गत जमीन का अंश
 वाद पर अम्बाला की अंशों को भी किपाई को छोड़कर अम्बाला के
 कोर्ट द्वारा राजा चरिचार्ड की अनुमति किपाई है। काल उपरोक्त विषय
 के आयापन की अंशों के अंतर्गत यह न्यायालय कोर्ट के
 रूप में स्वीकार किया गया है।

कोर्ट

- अतः उपरोक्त विषय के आयापन की अंशों के अंतर्गत
 कोर्ट के रूप में स्वीकार किया जाये कि निम्नलिखित आयापन
 नं. क्रमांक 226/0.04, 227/0.23, 228/0.11, 229/0.15, 237/0.08,
 238/0.09, 239/0.11, 240/0.11, 246/0.08, 247/0.06, 248/0.13,
 267/0.25, 268/0.18, 277/0.11, 418/0.05, 419/0.06, 420/0.08,
 422/0.05, 435/0.19, 436/0.09, 437/0.10, 440/0.19, 441/0.04,
 442/0.04, 443/0.10, 484/0.14, 485/0.14, 487/0.08, 490/0.22,
 491/0.22, 493/0.10, 502/0.15, 503/0.03, 504/0.03, 505/0.03,
 506/0.04, 534/0.30, 535/0.20, 536/0.18, 537/0.15, 538/0.30,
 539/0.23, 758/0.23, 590/932 रकबा 0.14 हेक्टेयर के आस

पलावा तहसील अम्बाला जिले (अम्बाला) के अंशों के अंतर्गत
 के वाद को अंशों को भी किपाई को छोड़कर अम्बाला के
 के हाल राजा चरिचार्ड के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत
 का अंश 1/2 अंश के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत
 के अंशों को भी किपाई को छोड़कर अम्बाला के अंशों के अंतर्गत
 वाद अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत
 अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत
 अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत अंशों के अंतर्गत

उपखण्ड अधिकारी
 मण्डावर (अम्बाला) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:-

रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा संख्या

दायरा दिनांक

आंशिक पर्चा डिक्री दिनांक

150/2015

11.08.2015

03.03.2021

1. कर्ण सिंह पुत्र बहराम (मृतक)
 - 1/1 रोशनी देवी पुत्र कर्णसिंह
 - 1/2 लीलाराम पुत्र कर्णसिंह
 - 1/3 रामनिवास पुत्र कर्णसिंह
 - 1/4 सावित्री देवी पुत्री कर्णसिंह
 - 1/5 रामचन्द्र पुत्र कर्णसिंह
 - 1/6 उदयभान पुत्र कर्णसिंह जाति जाट निवासीयान बीरोद तहसील मुण्डावर
2. ईश्वर सिंह
3. राजसिंह
4. रामावतार
5. प्रेम पुत्रान जयलाल जाति जाट निवासी बीरोद
6. कैलाश
7. अशोक पुत्रान मनोहर
8. सुनीता पुत्री मनोहर जाति जाट निवासीयान बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... वादीगण

बनाम

1. सरकार जयें तहसीलदार (लैण्ड हौल्डर) मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... प्रतिवादी

दावा ईशतकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88 व 188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आंशिक पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री सरजीत सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.03.2021 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है:-

वादीगण के वाद को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर हाल 226/0.04, 227/0.23, 228/0.11, 229/0.15, 237/0.08, 238/0.09, 239/0.11, 240/0.11, 246/0.08, 247/0.06, 248/0.13, 367/0.25, 368/0.18, 377/0.11, 418/0.05, 419/0.06, 420/0.08, 422/0.05, 435/0.19, 436/0.09, 437/0.10, 440/0.19, 441/0.04, 442/0.04, 443/0.10, 484/0.14, 485/0.14, 487/0.08, 490/0.22, 491/0.22, 493/0.10, 502/0.15, 503/0.03, 504/0.03, 505/0.03, 506/0.04, 534/0.30, 535/0.20, 536/0.18, 537/0.15, 538/0.30, 539/0.23, 758/0.23, 590/932 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के वादीगण के वाद को आंशिक डिक्री किया जाता है उक्त विवादित आराजीयात क हाल राजस्व रिकोर्ड में बहराम पुत्र मेदा वादीगण के पिता/दादा का नाम 1/2 बैल के हिस्से की हद तक नाम व हिस्सा जोडे जाने के आदेश दिये जाते है।

(रामसिंह राजावत) 3/3/21
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रामसिंह राजावत) 3/3/21
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला अलवर राज0
मुण्डावर (अलवर) राज0